जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

131/15

Gen. No. 13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 131/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते

Web Copy - not Official

19–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1– अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) श्रीगंगानगर के पत्रांक 290–291 दिनांक 29.05.2015 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 2– पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना
>
> 3– पत्र प्राप्ति से जबाब देने तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि
>
> 4– लोक सभा चुनाव 2014 में तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर श्री प्रहलाद राय मीणा एवं करतारसिंह पूनिया एवं सचिव मलकियत सिंह सैनी, जांच अधिकारी के विरूद्ध, बी.एल.ओ. श्री सुभाष चन्द गोयल द्वारा मतदाता पर्चियां प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर आपके आदेश 780 दिनांक 28.05.15 , 618 दिनांक 21.04.14, 946 दिनांक 12.06.14, 5332 दिनांक 30.12.14 की पालना में पूर्ण जांच न कर व पूर्ण रिपोर्ट न भेजने पर आप द्वारा की गयी अवमानना कार्यवाही की सूचना
>
> 5– उपरोक्त पत्रो के आदेश की पालना न करने पर जिस नियम के अन्तर्गत आप द्वारा उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही नही की गयी, उस निर्वाचन नियम की सूचना व नियम की प्रतिलिपि प्रमाणित
>
> 6– उपरोक्त जांच अधिकारियों द्वारा बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द्र गोयल द्वारा मतदाता पर्चियां वितरित न करना एवं जांच अधिकारियों द्वारा श्री प्रहलादराय मीणा व करतारसिंह पूनिर्याय व मलकीत सिंह सचिव नगर परिषद व बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द गोयल चुनाव प्रक्रिया में उदासीनता बरतने लापरवाही बरतने के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत दोषी है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

131/15
A3

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1756 दिनांक 17.09.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1622 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गयी थी अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1622 दिनांक 24.08.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:—

> आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में पत्रांक 290—91 दिनांक 29.05.2015 के इस कार्यालय में प्राप्त होने पर आर/आर नम्बर 2023 दिनांक 02.06.2015 है।
>
> आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 से 6 की सूचना के संबंध में जहां तक चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु संख्या 1 से 6 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू सं0 1 की सूचना का उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है अगर उक्त आरआर नम्बर का पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध है तो उसकी प्रमाणित प्रति निशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। जहां तक बिन्दू सं0 2 से 6 का प्रशन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 24.08.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

131/15

113/3

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनांओ को देखते हुए न्याय हित में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर किसी निशचित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर